### उत्तर प्रदेश शासन

# कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग- 2 संख्या-11/2022/107/अस्सी-2-2022-100(2)/2022

लखनजः दिनांक 10 नवम्बर, 2022

### <u>अधिसूचना</u>

अधिसूचना संख्या-3/2019/346/अस्सी-2-2019-100(9)/2019, दिनांक 13 सितम्बर ,2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति,2019 एवं अधिसूचना संख्या-8/2021/182/अस्सी-2-2021-100(9)/2019, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति (प्रथम संशोधन), 2021" के प्रस्तर-6.2.3.3 में किये जाने हेतु स्तम्भ-1 की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्तम्भ-2 की व्यवस्था रखते हुए "उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति,2019" में (द्वितीय संशोधन),2022 को निम्नवत प्रख्यापित किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

### "उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति,2019" में (द्वितीय संशोधन),2022

### स्तम्भ -1 वर्तमान व्यवस्था

## 6.2.3.3 कृषि निर्यात (उत्पाद/उत्पादन) में प्रयुक्त विर्निदिष्ट कृषि उपज पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट निम्नवत दी जायेगी:

- 1. किसानों, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ/ एफपीसी) अथवा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत गठित कृषक उत्पादक समूह से सीधे क्रय करने पर मण्डी शुल्क/ प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस की शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- 2. आढ़ितयों के माध्यम से खरीद करने पर 2. आढ़ितयों के माध्यम से खरीद करने पर मण्डी श्ल्क व प्रयोक्ता प्रभार की शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी परन्त् निर्धारित

## स्तम्भ -2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था

6.2.3.3 कृषि निर्यात (उत्पाद/ उत्पादन) में प्रयुक्त विर्निदिष्ट/गैरविर्निदिष्ट कृषि उपज पर मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस से छूट निम्नवत दी जायेगी:

- कृषक 1. किसानो, उत्पादक संगठन (एफपीओ/एफपीसी)अथवा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत गठित कृषक उत्पादक समूह से सीधे क्रय करने श्लक/प्रयोक्ता प्रभार एवं पर मण्डी विकास सेस की शत- प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- मण्डी शुल्क व प्रयोक्ता प्रभार की शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी परन्त् निर्धारित

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.gov.in">http://shasanadesh.up.gov.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

### विकास सेस देय होगा।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम,1964 में उपलब्ध प्राविधानों के अनुरूप निर्यात दायित्व सिद्ध करने के उपरान्त निर्यात पर मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस आदि से छूट मिलेगी,जो सामान्यतः 05 वर्षो तक देय है। निर्यात दायित्व सिद्ध करने की प्रक्रिया का निर्धारण समय-समय पर शासन द्वारा किया जायेगा।

विकास सेस देय होगा।

3. अन्य प्रदेशों से मण्डी शुल्क व अन्य विहित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात लाये गये बासमती धान को उत्तर प्रदेश में प्रसंस्करण कर निर्मित चावल के निर्यात करने पर कुल निर्यातित बासमती चावल के समतुल्य प्रयुक्त बासमती धान पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम,1964 में उपलब्ध प्राविधानों के अनुरूप निर्यात दायित्व सिद्ध करने के उपरान्त निर्यात पर मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस आदि से छूट मिलेगी, जो सामान्यतः 05 वर्षो तक देय है। निर्यात दायित्व सिद्ध करने की प्रक्रिया का निर्धारण समय-समय पर शासन द्वारा किया जायेगा।

2. उपरोक्त संशोधित प्राविधान वर्तमान में प्रचलित ''30प्र0 चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2017-22)'' तथा इस सम्बन्ध में निर्गत विभिन्न शासनादेशों पर अधिसूचना निर्गत होने के तिथि से अधिक्रमित (Supersede) होगें।

डा0 देवेश चतुर्वेदी अपर मुख्य सचिव।

## संख्या-11/2022/107/अस्सी-2-2022-100(2)/2022,तिद्दनांक-प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2. सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

- 6. स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
- 7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
- 9. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
- 10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 11. गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
- 12. वित्त ( व्यय-नियंत्रण) अनुाभाग-1
- 13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को दिनांक 10 नवम्बर,2022 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड(ख) में प्रकाशनार्थ एवं उसकी 250 मुद्रित प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
- १४. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ऋषिरेन्द्र कुमार विशेष सचिव।

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।